


प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस-2 के निर्माण हेतु वनमंडल देवास की 100.101 हे० एवं वनमण्डल खण्डवा की 46.989 हेक्टेयर कुल 147.09 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन मंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: .12.2020

स्थान: भोपाल


1.12.2021
(पदमाप्रिया बालाकृष्णन)
(सचिव)
म.प्र. शासन वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)